



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या .1743 / 2015जिला.....जैसलमेर.....

उनवान – मैसर्स कटारिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स कारपोरेशन, रतलाम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य
द्वारा श्री अशोक कटारिया, रतलाम

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|---|--|
| 12.02.2016 | <p align="center">खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.गर्ग एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जइ उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी वकील ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया ।</p> <p> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p> <p> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p> | |